मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक / 8252 / NR-4/NREGS-MP/11 भोपाल, दिनांक 10/08/11

प्रति,

समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
जेल रोड़ भोपाल

विषय :– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कियान्वयन हेतु वित्त व्यवस्था।

संदर्भः– म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 7778 / NR-4 / NREGS - MP / 11 दिनांक 28.7.11 (छायाप्रति संलग्न)

––00––

विषयान्तर्गत संदर्भित शासनादेश के कियान्वयन हेतु संपादित की जाने वाली व्यवस्था को परिशिष्ट–1 पर स्पष्ट किया गया है। परिशिष्ट–1 को आप भी अपने स्तर से तत्काल समस्त बैंकों को सूचित करने का कष्ट करें। परिशिष्ट-2 पर विस्तृत दिशा निर्देश हैं।

9/8/11

(अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल म.प्र

पृ.क्रमांक/8253/NR-4/NREGS-MP/11 भोपाल, दिनांक 10/08/11

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव म.प्र. प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल परिमंडल भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रमुख सचिव वित्त विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. प्रमुख सचिव सहकारिता मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर एवं भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. संभागायुक्त समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
7. आयुक्त म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. आयुक्त पंचायतराज संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. आयुक्त सामाजिक न्याय संचालनालय सामाजिक न्याय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
10. आयुक्त सह पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संचालक संस्थागत वित्त विन्ध्याचल भवन भोपाल।
12. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. क्षेत्रीय निदेशक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. उप महाप्रबंधक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
17. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना समस्त जिले की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. मुख्य महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थानीय मुख्यालय भोपाल, महा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, महा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया स्थानीय मुख्यालय भोपाल, उप महाप्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आंचलिक कार्यालय भोपाल, उप महाप्रबंधक ओरिएनटल बैंक ऑफ कामर्स, सिंडीकेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, सहायक महाप्रबंधक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, यूको बैंक क्षेत्रीय कार्यलय भोपाल, उप महाप्रबंधक केनरा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, वरिष्ठ प्रबंधक विजया बैंक भोपाल, मुख्य प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर भोपाल, मुख्य प्रबंधक इंडियन बैंक भोपाल, सहायक महाप्रबंधक कारपोरेशन बैंक भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
19. अध्यक्ष झाबुआ, धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
20. अध्यक्ष महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
21. अध्यक्ष नर्मदा मालवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
22. अध्यक्ष रीवा, सीधी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
23. अध्यक्ष सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
24. अध्यक्ष विदिशा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
25. अध्यक्ष शारदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
26. क्षेत्रीय प्रबंधक एचडीएफसी बैंक भोपाल, क्षेत्रीय प्रमुख आईसीआईसीआई बैंक भोपाल, उपाध्यक्ष एक्सिस बैंक भोपाल की ओर सूचनार्थ।
27. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रोग्राम ऑफिसर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जनपद पंचायत समस्त की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव 8/11
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल म.प्र.

परिशिष्ट–1

विषय :– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कियान्वयन हेतु वित्त व्यवस्था।

संदर्भः– म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 7778/NR-4/NREGS - MP/11 दिनांक 28.7.11 (छायाप्रति संलग्न)

विषयान्तर्गत संदर्भ में कार्यान्वित की जाने वाली व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी –

क्र.	कार्यवाही	कार्यवाही करने का उत्तरदायित्व
1	जिले में सर्विस ऐरिया अप्रोच के परिप्रेक्ष्य में ऐसे ग्राम जिनमें 5 किलोमीटर की त्रिज्या अर्थात 5 कि. मी. की परिधि में वित्तीय संस्थान उपलब्ध नहीं है उनमें बैंकिग सेवाए देने के लिए ''सर्विस ऐरिया बैंक'' विभिन्न गतिविधियों जैसे मोबाईल बैंकिग, बायोमेट्रिक ATM, क्योस्क बैंकिग अथवा बिजनेस करस्पोंडेण्ट स्थापित कर हितग्राहियों का भुगतान सुनिचित करेंगें। ऐसे क्षेत्रों में आ रहे ग्रामों का चिन्हांकन कर अपनाई जाने वाली प्रविधि की मैपिंग कर तत्काल सूचित करें। यह कार्यवाही पूर्व में सूचित की गई समय–सीमा को संशोधित करते हुए 12 अगस्त 2011 तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जानी है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम समन्वयक से तत्काल संपर्क स्थापित करें।	कार्यवाही संयुक्त रूप से जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं लीड बैंक द्वारा की जानी है।
2	योजना संचालन हेतु राशि परिषद् मुख्यालय के नोडल खाते से जिलों के लीड बैंक खातों में ही भेजी जायेगी।	परिषद् के आदेश पर राशि को जिलों की लीड बैंकों में भेजने का दायित्व भोपाल स्थित नोडल बैंक का होगा।
3	परिषद् से राशि प्राप्त होने पर स्कीम संचालन हेतु राशि जिले की लीड बैंक में ही जमा की जानी है। अर्थात जिले का स्कीम का नोडल खाता लीड बैंक में ही संधारित होगा। पूर्व का खाता बंद करना होगा।	कार्यवाही जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा की जानी है। लीड बैंक द्वारा भी सुनिश्चित किया जाना है कि उनकी बैंक में संबंधित खाते में राशि प्राप्त हो गई है।
4	जिले के नोडल खाते (लीड बैंक में संधरित खाता) से राशि अन्य संबंधित सर्विस ऐरिया की बैंकों को भेजी जा सकेगी।	कार्यवाही जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा की जानी है
5	नोडल तथा सर्विस एरिया बैंक द्वारा राशि RTGS या ''कोर बैंकिंग'' (जैसा भी प्रकरण हो) के माध्यम से विभिन्न बैंकों को उपलब्ध कराई जायेगी।	कार्यवाही 'नोडल बैंक' तथा ''सर्विस ऐरिया बैंक'' द्वारा की जानी है।

N. Saxena
JCFA

6	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पोस्ट ऑफिस एवं जिला सहकारी बैंकों के खाते ''सर्विस ऐरिया बैंक'' मे खोले जायेगें।	कार्यवाही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पोस्ट ऑफिस एवं जिला सहकारी बैंकों द्वारा की जानी है। जिला कार्यक्रम समन्वयक इस कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे एवं सर्विस ऐरिया बैंक सुनिश्चित करेगा कि संबंधित संस्थानों के खाते उनकी बैंक में खुल गए है।
7	ग्राम पंचायतों के खाते सर्विस ऐरिया बैंक में ही खोले जायेगें। स्पष्ट है कि यदि ग्राम पंचायत का खाता संबंधित ''सर्विस ऐरिया बैंक'' मे नहीं है तो उसको तत्काल बंद किया जाकर ''सर्विस ऐरिया बैंक'' में ही खोला जायेगा।	कार्यवाही संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा की जानी है। ''प्रोग्राम ऑफिसर'' एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक यह कार्यवाही सुनश्चित करायेंगे।

राशि प्रवाह संबंधी पत्रक भी स्पष्टता हेतु संलग्न किया जा रहा है।

JCFA

Fund Flow Chart under New Financial Dispensation

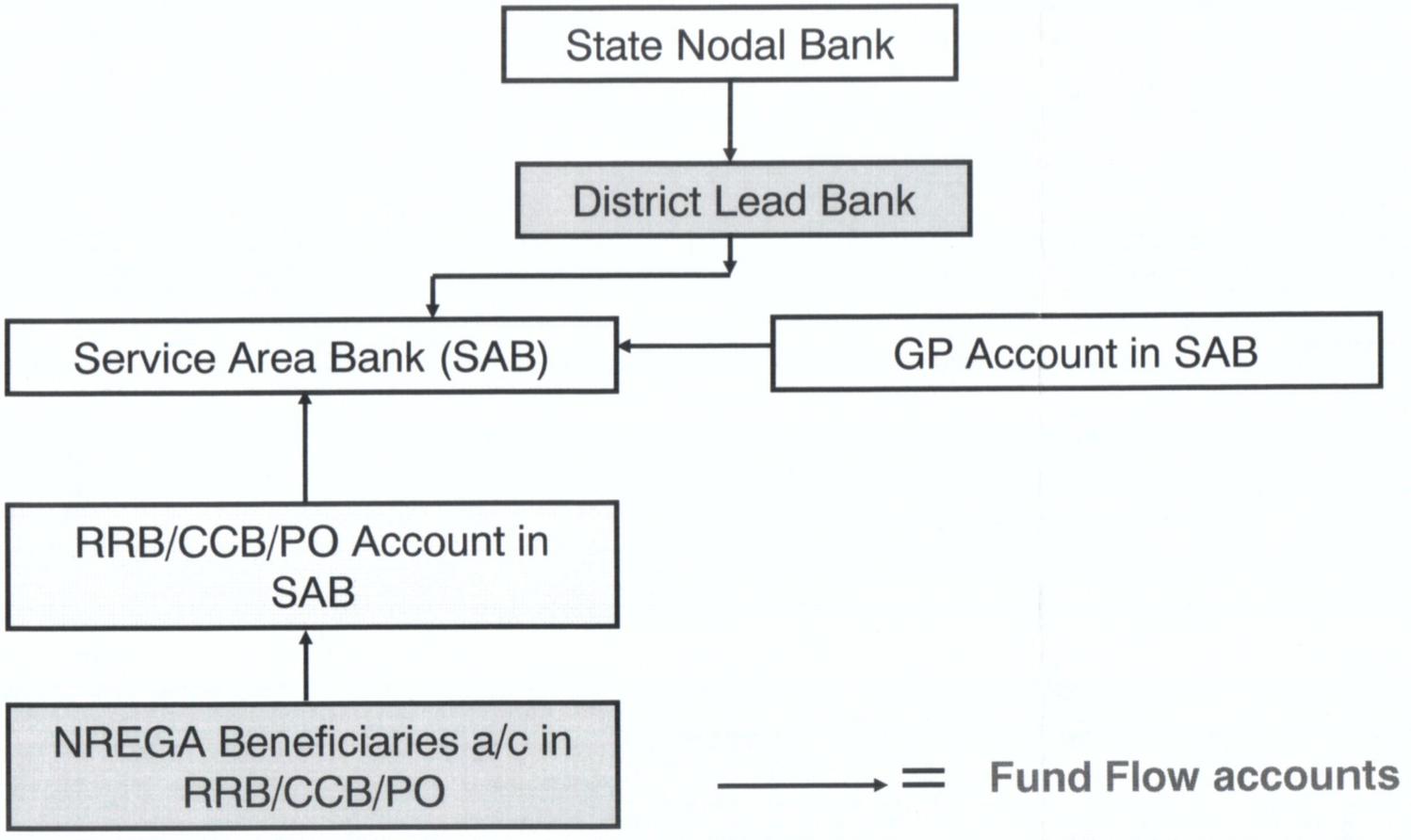

Note : 1. **The Accounts of beneficiaries in Nationalized Bank will be automatically credited through RTGS/ECS.**

2. **The Accounts of beneficiaries in RRB/CCB/PO etc. will be serviced by service Area Bank thereby curtailing time taken in cheque clearance.**

3. **In unbanked areas (shadow Area), alternate arrangements like mobile banking, BC, Bio Metric ATM, Banking KIOSK etc. have to be arranged by service Area Bank (SAB).**

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक / 7778 / NR-4/NREGS-MP/11 भोपाल, दिनांक 28/07/11

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र.
जिला समस्त (म.प्र.)

विषय :– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कियान्वयन हेतु वित्त व्यवस्था।
संदर्भः– म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 646 / 22 / वि–7 / ग्रा.रो / 2006 दिनांक 17.1.2006

––00––

विषयान्तर्गत संदर्भित शासनादेश के बिन्दु (अ) में पूर्व में स्कीम संचालन हेतु जिला जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर राशि प्रवाह हेतु खाते खोलने के निर्देश दिये गये हैं। राशि का प्रवाह निरंतर रहे इसी के साथ अकुशल श्रम भुगतान में विलम्ब को कम किया जा सके अतः निम्न व्यवस्था अनुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें।

1. मूल खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मे रहेगा परन्तु जिले हेतु धनराशि का वितरण बिन्दु क्रमांक 2 अनुसार जिले की लाड बैंक द्वारा किया जायेगा।
2. परिषद् के खाते से विभिन्न जिलों की संबंधित लीड बैंक में स्कीम की राशि प्रवाहित की जाएगी। अतः जिले को मनरेगा स्कीम का जिले का नोडल खाता संबंधित जिले की लीड बैंक में संधारित करना होगा।
3. राशि का प्रवाह एवं वितरण चूंकि "सर्विस ऐरिया एप्रोच" एवं हितग्राही को 5 किलो मीटर की सीमा के अंदर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हो सके इस परिप्रेक्ष्य में सनिश्चित किया जाएगा; अतः संबंधित जिले की लीड बैंक जिले में सर्विस ऐरिया बैंक से एवं अन्य बैंकों से समन्वय, स्कीम से संबंधित राशि प्रवाह एवं तत्संबंधी संसूचनाओं के एकत्रीकरण हेतु पूर्णतः उत्तरदायी होंगी। राज्य स्तर पर संबंधित लीड बैंक का मुख्यालय उनके अपने जिलों के लीड बैंक के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होगा। इसी के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् से समन्वय एवं समय–समय पर चाही गई संबंधित जानकारियां शीघ्र ही प्रदान करने हेतु उत्तरदायी भी होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भोपाल का मुख्यालय भी इस संबंध में विभिन्न बैंको से समन्वय कर चाही गई जानकारियां तत्काल उपलब्ध कराएगा।
4. जनपद एवं ग्राम पंचायतों के खाते "सर्विस ऐरिया" बैंक में खोले जाएंगे। स्पष्ट है कि अन्य बैंक में खोला गया वर्तमान खाता यदि वह "सर्विस ऐरिया" बैंक में नहीं है तो तत्काल बंद करना होगा। "सर्विस ऐरिया" की बैंक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें, जिला सहकारी बैंक एवं पोस्ट आफिस के खाते खोलने हेतु संबंधित संस्थाएं कार्यवाही करेंगी। इस व्यवस्था से लाभ यह होगा कि जिन अकुशल श्रमिकों के खाते इन संस्थाओं में है, ऐसे प्रकरणों में हितग्राहियेां को "चैक क्लीयरेंस" में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा, क्योंकि ग्राम पंचायत एवं हितग्राहियों के खाते एक ही बैंक में होंगे। जिन अकुशल श्रमिकों के खाते इन संस्थाओं में न होकर अन्य बैंकों में होंगे उनमें "आर.टी.जी.एस." या "कोर बैंकिग" से तत्काल ही राशि हितग्राहियों के खाते में अंतरित हो जायेगी अतः दोनों प्रकार के प्रकरणों में विलम्ब नहीं रहेगा।

5. जिले में "सर्विस ऐरिया एप्रोच" के परिप्रेक्ष्य में ऐसे ग्राम जिनमें 5 किलो मीटर की त्रिज्या अर्थात 10 किलोमीटर की परिधि में कोई भी वित्तीय संस्थान उपलब्ध नहीं है उनमें बैंकिंग सेवाएं देने के लिए संबंधित "सर्विस ऐरिया" बैंक विभिन्न गतिविधियों जैसे मोबाईल बैंकिंग, बायोमेट्रिक ATM, क्योस्क बैंकिंग अथवा "बिजनेस करस्पोंडेन्ट" स्थापित कर हितग्राहियों का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार आपके जिले में निम्न केलेण्डर अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

कार्यवाही का नाम	समय सीमा
बिन्दु–2 अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना	31 जुलाई 2011
बिन्दु–4 अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना	12 अगस्त 2011
बिन्दु–5 अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना	30 अगस्त 2011

स्पष्ट किया जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं के स्कीम खाते किसी भी स्थिति में उपर्युक्त निर्देशों के अतिरिक्त अन्य किसी भी बैंक में संधारित नहीं होंगे, अर्थात जिले में त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं की संख्या के मान से ही खोले गये खातों की संख्या होगी।

01 सितम्बर 2011 से यह व्यवस्था पूर्णतः प्रभावशील की जानी है अतः इस व्यवस्था को पूर्ण कराने हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक, लीड बैंक एवं संबंधित बैंकें संयुक्त रूप से पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

28/7/11

(अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल म.प्र.

पृ.क्रमांक/7779/NR-4/NREGS-MP/11 भोपाल, दिनांक 28/7/11

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव म.प्र. प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल परिमंडल भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रमुख सचिव वित्त विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. प्रमुख सचिव सहकारिता मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर एवं भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. संभागायुक्त समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
7. आयुक्त राज्य रोजगार गारंटी परिषद् मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. आयुक्त पंचायतराज संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. आयुक्त सामाजिक न्याय संचालनालय सामाजिक न्याय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. आयुक्त सह पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. क्षेत्रीय निदेशक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12. उप महाप्रबंधक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
15. मुख्य महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थानीय मुख्यालय भोपाल, महा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, महा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया स्थानीय मुख्यालय भोपाल, उप महाप्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा आंचलिक कार्यालय भोपाल, उप महाप्रबंधक ओरिएनटल बैंक ऑफ कामर्स, सिंडीकेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, सहायक महाप्रबंधक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, यूको बैंक क्षेत्रीय कार्यलय भोपाल, उप महाप्रबंधक केनरा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, वरिष्ठ प्रबंधक विजया बैंक भोपाल, मुख्य प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर भोपाल, मुख्य प्रबंधक इंडियन बैंक भोपाल, सहायक महाप्रबंधक कारपोरेशन बैंक भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. अध्यक्ष झाबुआ, धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. अध्यक्ष महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. अध्यक्ष नर्मदा मालवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
19. अध्यक्ष रीवा, सीधी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
20. अध्यक्ष सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
21. अध्यक्ष विदिशा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
22. अध्यक्ष शारदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
23. क्षेत्रीय प्रबंधक एचडीएफसी बैंक भोपाल, क्षेत्रीय प्रमुख आईसीआईसीआई बैंक भोपाल, उपाध्यक्ष एक्सिस बैंक भोपाल की ओर सूचनार्थ।
24. समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (महा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया) की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि चूंकि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 143 वीं बैठक में उपर्युक्त विषय पर चर्चा एवं अनुमोदन हो चुका है अतः तत्संबंधी अनुमोदन का कार्यवाही विवरण इस विभाग को भेजने का कष्ट करें। इसी के साथ इन निर्देशों की प्रति समस्त बैंकों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अरुणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल म.प्र.

परिशिष्ट -2

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास/
सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/8269/NR-4/11 भोपाल, दिनांक : 10/8/2011

प्रति,

समस्त संभागयुक्त/कलेक्टर
जिला.....
संभाग.....

विषय :– दिनांक 06 एवं 07 अगस्त 2011 को आयोजित कलेक्टर/कमिश्नर कान्फ्रेंस के संबंध में।

विषयांतर्गत दिनांक 06 एवं 07 अगस्त 2011 को आयोजित कलेक्टर/कमिश्नर कान्फ्रेंस में मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में अविलम्ब कार्यवाही कर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
एवं सामाजिक न्याय विभाग

पृ.क्रमांक/8270/NR-4/11 भोपाल, दिनांक : 10/8/2011

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्य मंत्री जी की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, योजना, आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
5. विशेष सहायक, मान. मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की ओर सूचनार्थ।
6. श्री आर.के. मंडल, लीड बैंक अधिकारी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
एवं सामाजिक न्याय विभाग

दिनांक 06 एवं 07 अगस्त 2011 को आयोजित कलेक्टर/कमिश्नर कान्फ्रेंस के संबंध में।

नरेगा के कियान्वयन में समय पर भुगतान में दो तरह की दिक्कतें जिलों में दौरे के अनुसार परिलक्षित हुई हैं। पहला समय पर मूल्यांकन न होने से विलंब। इस बाबत् जिले के सभी उपयंत्री की साइट डायरी रखते हुये सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री सुनिश्चित करायें कि हर स्तर पर मूल्यांकन एक सप्ताह के अंदर हो। साइट डायरी व्यवस्थित मेन्टेन हो और कहीं भी मूल्यांकन 10 दिन के विलंब में न हो। यह पूर्णतः जिम्मेदारी कार्यपालन यंत्री (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) की रहेगी।

II. विलंब का दूसरा कारण बैंकों से समय पर भुगतान न होना। इस हेतु जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिशा निर्देश दिये गये हैं तथा पत्र के माध्यम से एक सुस्पष्ट नक्शा दिया जा रहा है। कार्यवाही आपके जिले में 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से प्रारंभ हो। इस हेतु संपूर्ण कार्यवाही डी.एल.सी.सी. के माध्यम से सुनिश्चित करायें, जिसमें कि सभी बैंकों की भागीदारी रहे । उक्त बैठक में पोस्ट ऑफिस को भी आमंत्रित करें।

III. उपरोक्त संदर्भ में निम्नानुसार क्रमानुसार कार्यवाही करें:–

(1) जिले में वर्तमान में प्रत्येक बैंक का सर्विस एरिया निर्धारित है तथा उस सर्विस एरिया तक कोर बैंकिंग भी है। अतः किसी भी शासकीय कार्यक्रम की राशि जिले में लीड बैंक के माध्ययम से सर्विस एरिया बैंक तक पहुंचायें।

(2) सर्विस एरिया के अंतर्गत सब सर्विस एरिया इस तरह से चिन्हांकित करें कि किसी भी हितग्राही हो बैंक में राशि जमा करने या आहरित करने हेतु 5 किलोमीटर से अधिक न जाना पड़े।

(3) अतः बिन्दु क्रमांक–2 के कियान्वयन हेतु सर्विस एरिया के अंतर्गत उपलब्ध आर.आर.बी., सहकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस को चिन्हित करें तथा उनके 5 किलोमीटर क्षेत्र में आनेवाले ग्राम चिन्हित करें। जहां उपरोक्त तीनों संस्थाओं से अधिक संस्थाऐं हैं वहां सर्वप्रथम आर.आर.बी. फिर पोस्ट ऑफिस तथा जहां दोनो न हों वहां सहकारी बैंक को चिन्हित करें।

(4) कई ऐसी जगह जिलों में होंगी जहां 5 किलोमीटर क्षेत्र में बिन्दु क्रमांक–3 अनुसार कोई भी व्यवस्था न हो तो वहां परजैसा कि कमिश्नर/कलेक्टर कान्फ्रेंस दिनांक 6–7 अगस्त में अनूपपुर मॉडल के अनुसार सहकारित बैंक के पी.सी.एस. के माध्यम से मोबाईल बैंकिंग/कामर्शियल बैंक/बी.सी. (Business Correspondence)/फ्रेंचाई पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था कर सकते हैं।

(5) यह सुनिश्चित करायें कि आपके जिले में ये पूरी व्यवस्था का चिन्हांकन डी.एल.सी.सी. के माध्यम से स्पष्ट हो जाए।

(6) आर.आर.बी. माह सितंबर से कोर बैंकिंग में आ रहे हैं। अतः सहकारी बैंक एवं पोस्ट ऑफिस वे सबसे करीबी कामर्शियल बैंक या आर.आर.बी. में

खाते खोलेंगे जिससे कि उन्हें अपने सब सर्विस एरिया में राशि वितरण में केश ट्रांसफर में किसी तरह की दिक्कत न हो।

(7) उपरोक्त बिन्दु क्रमांक –6 के अनुसार यदि व्यवस्था सुनिश्चित हो जाती है तो बैंक को भी केश की राशि रखने में सुविधा रहेंगी।

(8) चिन्हांकित गांव की जो सब एरिया व्यवस्था है उसमें प्रत्येक परिवार (परिवार की परिभाषा में पति पत्नि एवं बच्चे) के दो खाते रहेंगे। एक पति के नाम एक पत्नि एवं बच्चों के नाम। वृद्व, विधवा, परित्यक्ता के पृथक खाते रहेंगे। यह व्यवस्था जिला कलेक्टर यदि सुनिश्चित करते हैं तो राज्य शासन की कोई भी योजना जिसमें केश ट्रांसफर की व्यवस्था है उसमें हितग्राही के एक से ज्यादा खातों की समस्या समाप्त हो जायेगी और राज्य शासन द्वारा दिये जानेवाले ग्रामीण विकास विभाग, सामाजिक न्याय, स्कूल शिक्षा विभाग इत्यादि की सारी राशि इसी खाते के माध्यम से हितग्राही तक पहुंचाना सुनिश्चित हो सकेगी, तथा हितग्राही को 5 किलोमीटर से ज्यादा कहीं भी अपनी राशि को जमा करने या निकालने की सुविधा सुव्यवस्थित तरीके से एक नियोजित व्यवस्था रहेगी।

3/ उपरोक्त कार्य हेतु टाईम टेबल निम्नानुसार है :–

(1) 31 अगस्त तक डी.एल.सी.सी. अपनी कार्यवाही प्रारंभ करें।

(2) 15 सितंबर तक चिन्हित गांव यदि आवश्यकता हो तो सब सर्विस एरिया में खाते खुलवायें। यदि हितग्राही का पुराना खाता दूर–दराज में है तो उसे उपरोक्त अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित होने के उपरांत ही पुराने खाते क्रमशः बंद कर दिये जायेंगे।

(3) माह सितंबर से इस व्यवस्था के अनुसार वितरण प्रारंभ किया जाना है। प्रत्येक जिला अपनी–अपनी तिथि सुनिश्चित करायें।

IV. यह व्यवस्था "Madhya Pradesh Financial inclusion model" के नाम से मा0 मुख्यमंत्रीजी एवं मा0 मंत्री जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं सामाजिक न्याय के निर्देश अनुसार कियान्वित की जावेगी। जिससे कि हितग्राही को राशि अविलंब प्रदान किये जाने की स्पष्ट व्यवस्था हो।

V. इस व्यवस्था में यदि कहीं कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे या लीड बैंक के जनरल मैनेजर श्री मंडल सा0 मोबाईल नं.–9425393487 से संपर्क साध सकते है।

9/8/11

(अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
एवं सामाजिक न्याय विभाग